रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25042024-253863
CG-MH-E-25042024-253863

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 25, 2024/वैशाख 05, 1946
No. 277] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 25, 2024/VAISAKHA 05, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 25 अप्रैल, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/168.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) एवं खंड (ग) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा ।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में,-
   I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,
      i) खंड (झ) के बाद, निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

"(झक) "विघटन की अवधि" का अर्थ है – स्कीम की परिसमापन (लिक्विडेशन) की अवधि पूरी होने के बाद की अवधि, जिसका उद्देश्य आनुकल्पिक निवेश निधि (ए.आई.एफ.) की स्कीम का वह निवेश बेचना हो जिसे बेचा न जा सका हो ।

(झख) **"ऋण-भार"** (विल्लंगम) का वही अर्थ होगा, जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 [सेबी (सब्सटैंशियल एक्विज़ीशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेग्यूलेशन्स, 2011] के अध्याय-V में इसके लिए दिया हुआ है ।"

ii) खंड (तख) में, शब्दों तथा चिह्नों "स्कीम की अवधि या बढ़ाई गई अवधि पूरी होने के बाद की एक वर्ष की अवधि, जिसके दौरान आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम का पूरी तरह से परिसमापन (लिक्विडेशन) किया जाएगा" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "आनुकल्पिक निवेश निधि (ए.आई.एफ.) की स्कीम की अवधि या बढ़ाई गई अवधि पूरी होने के बाद की एक वर्ष की अवधि" आ जाएंगे ।

II. विनियम 16 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ग) में, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि प्रवर्ग-I की आनुकल्पिक निवेश निधियाँ (ए.आई.एफ.) उस इन्वेस्टी कंपनी (वह कंपनी जिसमें निवेश किया जाता हो), जो बुनियादी ढाँचे (अवसंरचना / इन्फ्रास्ट्रक्चर) के उन उप-क्षेत्रों (सब-सेक्टर) में से किसी उप-क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं (प्रोजेक्ट) के विकास, संचालन या प्रबंधन से जुड़ा कारोबार कर रही हो जिसका जिक्र केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई *इंफ्रास्ट्रक्चर के उप-क्षेत्रों की मास्टर सूची* में किया गया हो, की इक्विटी पर ऋण-भार सृजित कर सकती हैं, किंतु ऐसा केवल तभी किया जा सकेगा जब वह इन्वेस्टी कंपनी उधार ले रही हो और साथ ही ऐसा उन शर्तों के तहत किया जा सकेगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ ।"

III. विनियम 17 में, खंड (ग) में, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि प्रवर्ग-II की आनुकल्पिक निवेश निधियाँ (ए.आई.एफ.) उस इन्वेस्टी कंपनी (वह कंपनी जिसमें निवेश किया जाता हो), जो बुनियादी ढाँचे (अवसंरचना / इन्फ्रास्ट्रक्चर) के उन उप-क्षेत्रों (सब-सेक्टर) में से किसी उप-क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं (प्रोजेक्ट) के विकास, संचालन या प्रबंधन से जुड़ा कारोबार कर रही हो जिसका जिक्र केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई *इंफ्रास्ट्रक्चर के उप-क्षेत्रों की मास्टर सूची* में किया गया हो, की इक्विटी पर ऋण-भार सृजित कर सकती हैं, किंतु ऐसा केवल तभी किया जा सकेगा जब वह इन्वेस्टी कंपनी उधार ले रही हो और साथ ही ऐसा उन शर्तों के तहत किया जा सकेगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ ।"

IV. विनियम 20 में, उप-विनियम (19) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम (20) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(20) प्रत्येक आनुकल्पिक निवेश निधि (ए.आई.एफ.), आनुकल्पिक निवेश निधि का प्रबंधक और प्रबंधक तथा आनुकल्पिक निवेश निधि के प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति अपने निवेशकों की पूरी जाँच-परख और निवेश के संबंध में भी पूरी जाँच-परख उसी प्रकार करेंगे, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए, ताकि उन कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन को रोका जा सके, जिनका जिक्र बोर्ड द्वारा समय-समय पर किया जाए ।

स्पष्टीकरण: "कानूनी प्रावधानों" में शामिल हैं – अधिनियम, उनके तहत बनाए गए नियम, विनियम, दिशानिर्देश या परिपत्र (सर्कुलर), जो किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक (रेग्यूलेटर) के दायरे में आते हैं (जिनमें बोर्ड के दायरे में आने वाले कानूनी प्रावधान भी शामिल हैं) ।"

V. विनियम 29 में,

i) उप-विनियम (9) में, शब्दों "ऐसे निवेश को परिसमापन की स्कीम को बेच सकेगी" के स्थान पर शब्द "विघटन की अवधि में प्रवेश कर सकेगी" आ जाएंगे ।

ii) उप-विनियम (9) के बाद, निम्नलिखित नए उप-विनियम (9क) और (10) जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

"(9क) यदि आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम की परिसमापन की अवधि पूरी हो गई हो या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 के अधिसूचित होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर पूरी होने वाली हो, तो

ऐसी स्कीमों के मामले में परिसमापन की अतिरिक्त अवधि उसी प्रकार तथा उन शर्तों के तहत प्रदान की जा सकेगी, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए:

परंतु यह कि उप-विनियम (9क) के तहत परिसमापन की अतिरिक्त अवधि प्रदान करने के बावजूद भी, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निदेश भी जारी किया जा सकेगा या फिर कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

(10) यदि आनुकल्पिक निवेश निधि की कोई स्कीम विघटन की अवधि में प्रवेश कर जाए (जैसा विनियम 29ख में बताया गया है) और विघटन की अवधि पूरी हो जाने पर भी यदि ऐसा कोई निवेश बचा रह जाए जो बेचा न जा सका हो, तो ऐसे में उस निवेश को अनिवार्य रूप से उसके मौजूदा रूप में ही निवेशकों में उसी प्रकार वितरित कर दिया जाएगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए ।"

iii) मौजूदा उप-विनियम (10) अब उप-विनियम (11) बन जाएगा ।

VI. विनियम 29क में, उप-विनियम (7) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम (8) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(8) कोई भी आनुकल्पिक निवेश निधि (ए.आई.एफ.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 के अधिसूचित होने के बाद इस विनियम के तहत कोई नई परिसमापन की स्कीम नहीं लाएगी:

परंतु यह कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 के अधिसूचित होने से पहले आनुकल्पिक निवेश निधि द्वारा लाई गई किसी परिसमापन की स्कीम पर विनियम 29क और इन विनियमों के अन्य प्रावधान तब तक लागू रहेंगे, जब तक वे स्कीमें बंद (वाइंड-अप) न हो जाएँ ।"

VII. विनियम 29क के बाद और विनियम 30 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"**विघटन की अवधि**

29ख. (1) आनुकल्पिक निवेश निधि की कोई स्कीम विघटन की अवधि में उसी प्रकार प्रवेश कर सकेगी जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए और उन शर्तों के तहत प्रवेश कर सकेगी जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ ।

(2) विघटन की अवधि में प्रवेश करने वाली स्कीम बोर्ड के पास मर्चेंट बैंकर के जरिए एक सूचना ज्ञापन (इन्फॉर्मेशन मैमोरैन्डम) उसी प्रकार प्रस्तुत करेगी, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए ।

(3) आनुकल्पिक निवेश निधि की किसी स्कीम की विघटन की अवधि उतनी अवधि से ज्यादा की नहीं होगी जितनी अवधि के लिए वह स्कीम पहली बार लाई गई थी, और जो विघटन की अवधि पूरी हो जाने के बाद किसी भी प्रकार से बढ़ाई नहीं जाएगी ।

(4) आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम विघटन की अवधि के दौरान न तो किसी भी निवेशक से निवेश के संबंध में कोई नया वचन स्वीकार करेगी और न ही कोई नया निवेश करेगी ।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./046/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 तत्पश्चात्,-

(क) 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/24/6573, द्वारा

(ख) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

(ग) 26 सितम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576, द्वारा

(घ) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/011, द्वारा

(ङ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/026, द्वारा

(च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा

(छ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/19, द्वारा

(ज) 10 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/16, द्वारा

(झ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

(ञ) 19 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2020/37, द्वारा

(ट) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2021/01, द्वारा

(ठ) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/21, द्वारा

(ड) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

(ढ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/33, द्वारा

(ण) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/41, द्वारा

(त) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/57, द्वारा

(थ) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/68, द्वारा

(द) 16 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/75, द्वारा

(ध) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/89, द्वारा

(न) 15 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/105, द्वारा

(प) 9 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/113, द्वारा

(फ) 18 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/115, द्वारा

(ब) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा

(भ) 15 जून, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/132, द्वारा

(म) 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा

(य) 17 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा

(कक) 5 जनवरी, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/163, द्वारा संशोधित हुए थे

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th April, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/168.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) and (1B) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, namely, –

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, –

I. In regulation 2, in sub-regulation (1),

i) after clause (i), the following new clauses shall be inserted, namely, -

"(ia) "dissolution period" means the period following the expiry of the liquidation period of the scheme for the purpose of liquidating the unliquidated investments of the scheme of the Alternative Investment Fund.

(ib) "encumbrance" shall have the same meaning as assigned to it under chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011."

ii) in clause (pb), the words "for fully liquidating the scheme" shall be omitted.

II. In regulation 16, in sub-regulation (1), in clause (c), the following new proviso shall be inserted, namely, –

Provided that Category I Alternative Investment Funds may create encumbrance on equity of investee company, which is in the business of development, operation or management of projects in any of the infrastructure sub-sectors listed in the Harmonised Master List of Infrastructure issued by the Central Government, only for the purpose of borrowing by such investee company and subject to such conditions as may be specified by the Board from time to time."

III. In regulation 17, in clause (c), the following new proviso shall be inserted, namely,–

"Provided that Category II Alternative Investment Funds may create encumbrance on equity of investee company, which is in the business of development, operation or management of

projects in any of the infrastructure sub-sectors listed in the Harmonised Master List of Infrastructure issued by the Central Government, only for the purpose of borrowing by such investee company and subject to such conditions as may be specified by the Board from time to time."

IV. In regulation 20, after sub-regulation (19), the following new sub-regulation (20) shall be inserted, namely, -

"(20) Every Alternative Investment Fund, Manager of the Alternative Investment Fund and Key Management Personnel of the Manager and the Alternative Investment Fund shall exercise specific due diligence, with respect to their investors and investments, to prevent facilitation of circumvention of such laws, as may be specified by the Board from time to time.

Explanation: "laws" shall include Acts, Rules, Regulations, Guidelines or circulars framed thereunder that are administered by a financial sector regulator, including those administered by the Board."

V. In regulation 29,

i) In sub-regulation (9), the words "sell such investments to a liquidation scheme" shall be replaced by the words "enter into dissolution period".

ii) after sub-regulation (9), the following new sub-regulations (9A) and (10) shall be inserted, namely, -

"(9A) If the liquidation period for a scheme of an Alternative Investment Fund has expired or is expiring within three months from the date of notification of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2024, such schemes may be granted an additional liquidation period, subject to such conditions and in the manner as may be specified by the Board:

Provided that the additional liquidation period granted under sub-regulation (9A) shall be without prejudice to the issuance of any direction or measures in accordance with the provision of the Act and regulations framed thereunder.

(10) If the scheme of an Alternative Investment Fund enters into a dissolution period as provided under regulation 29B and the unliquidated investments of the scheme are not sold by the expiry of the dissolution period, such investments shall be mandatorily distributed in-specie to the investors, in the manner as may be specified by the Board."

iii) the existing sub-regulation (10) shall be renumbered as (11).

VI. In regulation 29A, after sub-regulation (7), the following new sub-regulation (8) shall be inserted, namely, -

"(8) No Alternative Investment Fund shall launch any new liquidation scheme under this regulation after the notification of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2024:

Provided that any liquidation scheme launched by an Alternative Investment Fund prior to the notification of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2024 shall continue to be governed by regulation 29A and the other provisions of these regulations till such schemes are wound up."

VII. After regulation 29A and before regulation 30, the following regulation shall be inserted, namely,-

"**Dissolution Period.**

29B. (1) A scheme of an Alternative Investment Fund may enter into a dissolution period in the manner and subject to such conditions as may be specified by the Board.

(2) The scheme entering into a dissolution period shall file an information memorandum with the Board through a merchant banker in the manner as may be specified by the Board.

(3) The dissolution period of a scheme of an Alternative Investment Fund shall not be more than the original tenure of the scheme and shall not be extended in any manner upon expiry of the dissolution period.

(4) The scheme of the Alternative Investment Fund shall not accept any fresh commitment from any investor and shall not make any new investment during the dissolution period."

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./046/2024-25]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on, –
   (a) 16th September, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.
   (b) 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
   (c) 26th September, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576.
   (d) 14th August, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/011.
   (e) 4th January, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/026.
   (f) 6th March, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.
   (g) 1st June, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2018/19.
   (h) 10th May, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2019/16.
   (i) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
   (j) 19th October, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2020/37.
   (k) 8th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2021/01.
   (l) 5th May, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/21.
   (m) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
   (n) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/33.
   (o) 13th August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/41.
   (p) 9th November, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/57.
   (q) 24th January, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/68.
   (r) 16th March, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/75.
   (s) 25th July, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/89.
   (t) 15th November 2022, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/105.
   (u) 9th January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/113.
   (v) 18th January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115.

(w) 7th February 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.

(x) 15th June 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/132.

(y) 3rd July 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.

(z) 17th August 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.

(aa) 5th January 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/163.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA